निर्णय बड़जलास द्वारा श्री शक्ति सिंह भाटी (**R.A.S.**) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्र0सं0 13/2018 रेवाद

निर्णय दिनांक :– 15.01.2020

अन्वान

1. श्रीमती मोहनी पत्नी मेघाराम व पुत्री केसु जी जाति रेगर उम्र 65 साल निवासी पांता की आंती तहसील देवगढ़ हाल निवासी बनेडिया तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज0)

———वादी

बनाम

1. श्रीमति साउ पत्नी खेमा राम जाति रेगर निवासी कुण्डेली तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. श्री लालु पिता खेमा जी जाति रेगर निवासी पांता की आंती तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. राजस्थान राज्य जरीये प्रतिनिधि श्रीमान तहसीलदार साहब देवगढ़

———प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत खातेदारी घोषणा राजस्व रेकार्ड में अंकन एवं निषेधज्ञा

उपस्थित वकील :– श्री राजेश समदानी वकील वादी।

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द

वादीया का वाद संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि राजस्व ग्राम पांता की आंती पटवार हल्का सांगावास तहसील देवगढ़ में निम्न लिखित कृषि आराजियात स्थित है। जिसके आ0नं0 99 रकबा 0.9, आ0नं0 100 रकबा 1.07, आ0नं0 102 रकबा 2.11, आ0नं0 103 रकबा 1.06 बीघा कुल किता 6 रकबा 6.18 बीघा है। उक्त भूमि वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी सं0 01 व 02 के नाम दर्ज है जो गलत दर्ज है। उक्त आराजियात खेमा के नाम दर्ज थी। खेमा की मृत्यु के पश्चात उसके वारिसान के नाम दर्ज हुये है। उक्त कृषि आराजियात में प्रतिवादी सं0 01 व 02 के नाम वर्तमान राजस्व रेकार्ड है जो गलती से दर्ज हुई है। केसुजी के एक विवाहित पत्नी थी जिसके साथ केसु जी ने हिन्दु विधि अनुसार विवाह किया था। जिसके एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम मोहनी है जो वादिया है। वादिया की माता कंकू के वादिया के अलावा और कोई सन्तान नही हुई जिससे केसु जी ने कंकू के जीवित रहते हुऐ मांगी बाई के साथ नाता विवाह कर लिया उस समय

वादिया की उम्र 7 वर्ष थी केसु जी द्वारा नाता विवाह करने के पश्चात मांगी बाई के तीन सन्तान हुई जो क्रमशः घीसु, साउ, तेजा राम जिसमे से घीसु व मेघराज फोत हो चुके है। साउ इस वाद की मुख्य प्रतिवादी है। केसुजी की मृत्यु के उपरान्त जो नामान्तकरण खोला गया वह मांगी बाई बेवा केसु के नाम खोला गया एवं मांगी बाई की मृत्यु आज से 10 वर्ष पूर्व हो चुकी है। वादिया केसुजी की जाइन्दा सन्तान है और वादग्रस्त आराजियात में साउ का जितना हक अधिकार है उतना ही हक अधिकार वादिया मोहनी का है। क्योंकि वादिया मोहनी केसुजी की विवाहित पत्नि की जाइन्दा सन्तान है इसलिये उक्त वादग्रस्त आराजियात मे वादिया का हक अधिकार निहित है। राजस्व रेकार्ड मे साउ के नाम पर जो 1/2 भूमि दर्ज है उसे विलोपित किया जाकर मोहनी का नाम भी राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाना आवश्यक है। उक्त भूमि में प्रतिवादी साउ का 1/4 हिस्सा व वादिया मोहनी का 1/4 हिस्सा निहित है। साउ के नाम पर हो रखे अधिक अंकन को विलोपित किया जाकर वादिया मोहनी का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने की घोषणा एवं डिक्री फरमाई जावें एवं राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जावें। वादग्रस्त कृषि आराजियात वादिया की मौरूसी हो बाप दादाओं की थी परन्तु प्रतिवादी सं0 01 ने राजस्व कर्मचारियों को गलत जानकारी देकर केसु जी के वारिसान मोहनी के हिस्से को गलत तरीके से राजस्व रेकार्ड में भूमि अपने नाम दर्ज करवा दी। जो नामान्तकरण प्रतिवादी सं0 01 अकेले के नाम खोला गया है वह वादिया के हक अधिकारो के आगे प्रारम्भतः ही शुन्य है। उक्त आराजियात में प्रतिवादी सं0 01 के नाम जो 1/2 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है उसे विलोपित किया जाकर वादिया को 1/4 हिस्से की खातेदार कास्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है तथा प्रतिवादी सं 01 के नाम हो रखा गलत अंकन विलोपित किया जाकर प्रतिवादी सं0 01 का हिस्सा 1/4 तक सीमित किया जाना आवश्यक है। उक्त भूमि में वादिया का अपने पुर्वजो के समय से ही हक अधिकार निहीत है और उक्त भूमि की विधिक वारिस वादिया है। प्रतिवादी सं0 01 ने गलत तथ्य पेश कर गलत जानकारी देकर केसु जी के उसके अलावा अन्य कोई वारिस नही होना बताकर भूमि राजस्व रेकार्ड में भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली। जिसे राजस्व रेकार्ड से विलोपित किया जाकर प्रतिवादी सं0 01 के साथ वादिया का नाम अंकित किये जाने की घोषणा की जावे एवं इसी आशय की डिक्री जारी फरमाई जावे।

वादिया का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को मय नकल वाद पत्र के सम्मन जारी किये गये। दौराने सुनवाई प्रतिवादी सं0 02 लालू पिता खेमा की मृत्यु हो गयी जिस पर लालू के वारिसान को प्रकरण में प्रतिवादी के रूप में पक्षकारान बनाया गया। प्रत्युत्तर में प्रतिवादीगण ने पृथक जवाब पेश किये। प्रतिवादी सं0 01 साउ ने जवाब में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात का पूर्व में खेमाराम के नाम दर्ज होने की जानकारी नही है तथा जो सजरा पेश किया

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द

है उसके मुताबित मोहनी पुत्री केसुजी के अस्तित्व की प्रतिवादिया को जानकारी नही है। वादग्रस्त आराजी दर्तमान में साउ व लालू के नाम आधी–आधी दर्ज है जो सही है अन्य वारिसान लाऔलाद फौत हो चुके है एवं दो ही वारिसान मौजूद है। प्रतिवादिया की मां मांगी बाई होकर केसुजी के दिवंगत होने पर उनकी विधवा के रूप में उनके नाम भूमि का नामान्तकरण खोला गया तथा साउ के दो भाई घीसु और तेजा फौत हो चुके है। घीसु का कोई उत्तराधिकारी मौजुद नही है। प्रतिवादीया को वादिया मोहनी देवी नाम की किसी लडकी का प्रतिवादिया के पिता केसु जी की संतान होने की जानकारी नही है। पूर्व में प्रतिवादी सं0 02 लालू पिता खेमा ने एक वाद साउ के खिलाफ घोषणा का पेश किया था जिसकी डिक्री के आधार पर दोनो प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजियात का खातेदार टेनेन्ट घोषित किया था जिसके अनुसार आधे–आधे हिस्से पर कब्जे कास्त करते आ रहे है। वादिया का प्रतिवादिया के पिता की सन्तान होने संबधी जानकारी नही होने से प्रतिवादिया इस बात को अस्वीकार करती है तथा वादिया का वादग्रस्त से कोई संबध नही है। जिससे वादिया का वाद काबिले निरस्त है। प्रतिवादी सं0 02 से 09 ने जवाब में वादिया मोहनी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र सही होना स्वीकार किया है। वादिया मोहनी केसा जी की पुत्री थी और केसा जी ने दो विवाह किये। प्रथम विवाह किया उसकी पुत्री मोहनी एवं दूसरा विवाह किया उसकी पुत्री साउ है। प्रतिवादी सं0 03 ने जवाब दावा पेश कर दावे अनुसार निर्णय पारित करने में कोई आपत्ति व्यक्त नही की है। वकील वादी की बहस सुनी। वकील वादी ने बहस में तर्क दिया कि ग्राम पांता की आंती में प्रतिवादी सं0 1 व 02 के नाम आ0नं0 99, 100, 102, 103, 824/99, 882/98 कुल किता 6 रकबा 6.18 बीघा है जो प्रतिवादी सं0 01 व 02 के नाम गलत दर्ज है। उक्त आराजियात खेमाराम के नाम दर्ज थी। खेमाराम के पश्चात उसके वारिसान के नाम दर्ज हुई। केसु जी के एक विवाहित पत्नी थी। जिसके साथ केसु जी ने हिन्दू विधि अनुसार विवाह किया था। जिसके एक पुत्री का जन्म हुआ। जिसका नाम मोहनी है जो वादिया है। वादिया की माता कंकू के वादिया के अलावा और कोई संतान नही हुई। केसु जी ने कंकू के जिवित रहते हुये मांगी बाई के साथ नाता विवाह कर लिया। उस समय वादिया की उम्र 07 वर्ष थी। केसु जी द्वारा नाता विवाह करने के बाद मांगी बाई के तीन संताने हुई जो घीसु, साउ, तेजाराम है। घीसू व मेघराज फौत हो चुके है। और साउ इस वादग्रस्त की मुख्य प्रतिवादी है। केसुजी की मृत्यु के पश्चात जो नामान्तकरण खोला गया। वह मांगी बाई बेवा केसु के नाम खोला। मांगी बाई की मृत्यु लगभग 10 वर्ष पूर्व हो चुकी है। वादिया केसु जी की जाइन्दा सन्तान है। वादग्रस्त आराजियात में साउ का जितना हक अधिकार है उतना ही हक अधिकार मोहनी का है क्योंकि वादिया मोहनी केसु जी की विवाहिता पत्नी की जाइन्दा संतान है। उक्त कृषि आराजियात वादिया की मौरुसी बाप–दादाओं की थी परन्तु प्रतिवादी सं0 01

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द

ने राजस्व कर्मचारियों को गलत जानकारी देकर केसु जी के वारिसान मोहनी के हिस्से को गलत तरीके से राजस्व रेकार्ड में भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली। अतः वादिया का वाद स्वीकार किया जावे तथा उपर्युक्त वादग्रस्त आराजियात में वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें एवं राजस्व रेकार्ड मे वादिया का नाम अंकित कराया जावें साथ ही प्रतिवादी सं0 01 के नाम पर हो रखे अधिक अंकन को विलोपित कराया जावें।

हमनें वादिया के वाद पत्र, जवाब प्रतिवादीगण, नकल जमाबन्दी एवं पत्रावली में सलंग्न अन्य दस्तावेजो का अवलोकन किया तथा विद्ववान वकील वादी की बहस पर मनन किया। उपर्युक्त विवेचनानुसार स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजियात खेमाराम के नाम दर्ज थी तथा खेमाराम की मृत्यु के बाद उसके वारिसान के नाम दर्ज हुई। केसुजी के एक विवाहित पत्नी थी जिसका हिन्दू रिति रिवाज अनुसार विवाह हुआ। उसके एक पुत्री का जन्म हुआ उसका नाम मोहनी है। वादिया की माता कंकू के वादिया के अलावा और कोई संतान नही हुई जिस पर केसु जी ने कंकू के जीवित रहते हुये मांगी बाई के साथ नाता विवाह कर लिया। केसु जी के नाता विवाह करने के बाद मांगी बाई के तीन सन्तान हुई जिसमें से घीसू व मेघराज फौत हो चुके है। केसु जी के पश्चात जो नामान्तकरण खोला गया वह मांगी बाई बेवा केसु के नाम खोला गया। वादिया केसु जी की जाइन्दा संतान है उक्त वादग्रस्त भूमि में साउ का जितना हक है उतना ही हक अधिकार मोहनी का भी है क्योंकि वादिया मोहनी केसु जी की विवाहित पत्नी की जाइन्दा संतान है।

अतः वादिया का वाद स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम पांता की आंती पटवार हल्का सांगावास तहसील देवगढ की भूमि आ0नं0 99, 100, 102, 103, 824/99 व 882/98 कुल किता 6 रकबा 6.13 बीघा भूमि में प्रतिवादीगण के साथ–साथ वादिया को भी खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा राजस्व रेकार्ड में वादिया का नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ को लिखा जावे। तदनुसार डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2020 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

sd/-

सहायक कलेक्टर
देवगढ जिला–राजसमन्द

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
देवगढ जिला–राजसमन्द

राजस्थान–सरकार

डिग्री व मुकद्दमे इब्तदाई

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ जिला–राजसमन्द
निर्णय श्री शक्ति सिंह भाटी (**R.A.S.**) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ
प्र0सं0 13/2018 रे.वाद निर्णय दिनांक :– 15.01.2020

अनवान

1. श्रीमती मोहनी पत्नी मेघाराम व पुत्री केसु जी जाति रेगर उम्र 65 साल निवासी पांता की आंती तहसील देवगढ़ हाल निवासी इगेडिया तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज0)

------वादी

बनाम

1. श्रीमति साउ पत्नी खेमा राम जाति रेगर निवासी कुण्डेली तहसील देवगढ जिला राजसमन्द
2. श्री लालु पिता खेमा जी जाति रेगर निवासी पांता की आंती तहसील देवगढ जिला राजसमन्द
3. राजस्थान राज्य जरीये प्रतिनिधि श्रीमान तहसीलदार साहब देवगढ

------प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत खातेदारी घोषणा राजस्व रेकार्ड में अंकन एवं निषेधज्ञा

उपस्थित वकील :– श्री राजेश समदानी वकील वादी।

यह मुकद्दमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रूबरू.. मिनजानिब मुद्दायलह पेश हो वादी का वाद पत्र इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि तथा ग्राम पांता की आंती पटवार हल्का सांगावास तहसील देवगढ की भूमि आ0न0 99, 100, 102, 103, 824/99 व 882/98 कुल किता 6 रकबा 6.18 बीघा भूमि में प्रतिवादीगण के साथ–साथ वादिया को भी खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा राजस्व रेकार्ड में वादिया का नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। नीज.......................................मुबलिग.......................................बाबत...खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.......................................फीसदी सालाना आज की तारि ख से तारीख वसूलयाबी तक.......................................का अदा करे।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारिख 15 मास 01 सन् 2020 की जारी की गई।

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
देवगढ़ जिला–राजसमन्द